

आवंटनादेश

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

श्रमायुक्त के सचिव, पटना ।

पटना, दिनांक -

26-5-12

विषय :- मुख्य शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग संख्या-26-उप शीर्ष-0124-असंगठित मजदूरों एवं शिल्पकारों की सामाजिक सुरक्षा (विपत्र कोड 26-2235027960124) के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 2998 दिनांक 25.05.2017 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में 31 मार्च, 2018 तक व्यय के निमित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति को बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु निम्न प्रकार से निधि का आवंटन किया जाता है-

क्र.सं	विषयशीर्ष		योग-
	31-सहायता अनुदान	0124.31.06 सहायक अनुदान-गैरं वेतन	
1	2		3
1	1000000		1000000

कुल आवंटित राशि रु. 10,00,000/- (रु. दस लाख) मात्र ।

2. इस राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 8244 दिनांक 02.08.2010 की कंडिका-2 (ख) के आलोक में बी०टी०सी० फॉरम 42 में कर के बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति को बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

3. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 8244 दिनांक 02.08.2010 की कंडिका-2(ख) का उद्धरण-(ख) केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यांश की राशि विभाग द्वारा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन समिति, एजेंसी, कंपनी इत्यादि को दी जाती है। ऐसे संस्थानों को ए०सी० बिल के आधार पर राज्यांश की निकासी न कर-सामान्य विपत्र पर ही राशि निकासी करने का दिशा-निर्देश वित विभाग द्वारा पूर्व में ही दिया जा चुका है। इसके बावजूद भी कई मामलों में राज्यांश की निकासी ए०सी० बिल पर हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। राज्यांश की राशि, जो अंशदान है, की निकासी टी०सी० विपत्र सं०-४२ में की जानी चाहिए। इस विपत्र में स्पष्ट जानकारी रहनी चाहिए कि यह अंशदान किस केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन दी जा रही है और इसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का कितना-कितना हिस्सा है। जिस संस्थान को इस अंशदान की राशि स्थानांतरित की जा रही है। उक्त संस्थान द्वारा संगत राशि की पूर्व प्राप्ति (Pre-received Voucher) संलग्न करनी चाहिए। इन मामलों में उपयोगिता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी, जिसे इन संस्थानों द्वारा संबंधित विभाग को उपलब्ध कराना होगा, जिसकी प्रति वे महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि० दिनांक-31.03.17, पत्रांक-3002/वि० दिनांक-26.04.2017 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।

5. इस राशि की निकासी नया सचिवालय, विकास भवन कोषागार, पटना से की जाएगी।
6. इस आवंटित अनुदान की राशि की निकासी तभी की जायेगी जब पिछले वर्षों तक का उपयोगिता प्रमाण पत्र का सामंजन महालेखाकार, बिहार, पटना का कार्यालय से करा लिया जावेगा।
7. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा।
8. आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार जाँच कर किया जाय।
9. यह आवंटन राज्य योजना मद से संबंधित है।

विश्वासभाजन,
१५/२५०५/१८
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।
ज्ञापांक :- ६/एफ१-३०२/२०१७ श्र० सं० १४ पटना, दिनांक - २६-५-१२

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१५/२५०५/१८
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक :- ६/एफ१-३०२/२०१७ श्र० सं० १४ पटना, दिनांक - २६-५-१२

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिला पदाधिकारी पटना/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन कोषागार, नया सचिवालय, पटना/कार्यकारी निदेशक, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना/आईटी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा २ (सरकार पक्ष)/लेखा शाखा (श्रम पक्ष)/ प्रशाखा-५^३, बजट शाखा, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-६, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

१५/२५०५/१८
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।